न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 34/2018

अनवान :

1. राजबाला पत्नी हरिसिंह जाति जाट निवासी किराड़ाछोटा तहसील भादरा।
2. नीलम पुत्री हरिसिंह जाति जाट निवासी किराड़ाछोटा तहसील भादरा।
3. सन्तोष पुत्री हरिसिंह जाति जाट निवासी किराड़ाछोटा तहसील भादरा।
4. सन्दीप पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी किराड़ाछोटा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादीगण

बनाम

1. राजेन्द्र पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी किराड़ाछोटा तहसील भादरा।
2. किताबो पत्नी हरिसिंह जाति जाट निवासी किराड़ाछोटा तहसील भादरा।
3. सतपाल पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी किराडाछोटा तहसील भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88, 89 राज0काश्त0अधिनियम 1955

उपस्थिति : वकील श्री ताराचन्द मोठसरा **: वादी**

वकील श्री विनोद जाखड़ **: प्रतिवादी सं0 1 ता 2**

निर्णय **दिनांक :**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा किराड़ाछोटा के खसरा सं0 289 की 6.564 है0 बारानी खातेदारी में वादिया राजबाला के नाम से 1/12 हिस्सा, वादी नीलम, सन्तोष, सन्दीप व प्रतिवादी राजेन्द्र के नाम से 5/6 हिस्सा बहिस्सा बराबर है व रोही किराडाछोटा के ही खसरा सं0 59, 157, 170, 180 की 14.949 है0 बारानी खातेदारी में वादिया राजबाला का 32–5/6 हिस्सा, प्रतिवादी सतपाल, राजेन्द्र व वादी सन्दीप के नाम से 352–1/3 हिस्सा, वादिया नीलम, सन्तोष के नाम से 131–1/3 हिस्सा बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदारी है। उक्त वादभूमि वादीगण को अपने पिता व पति हरिसिंह से विरासतन प्राप्त हुई थी परन्तु विरासतन इन्तकाल दर्ज करते समय वादीगण का घरू नाम से हिसाब से वादिया राजबाला का नाम बाला, वादिया नीलम का नाम चित्रा, वादिया सन्तोष का नाम पूनम व वादी सन्दीप का नाम धोलु दर्ज कर दिया गया।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 1 व 3 ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया है। प्रतिवादी सं0 4 को तर्क किया गया।

साक्ष्य वादी में राजबाला पत्नी हरिसिंह के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि कम्प्युटराईज जमाबन्दी ग्राम किराडाछोटा खाता सं0 21/16 सम्वत् 2072–75 प्रदर्श 1 प्रदर्शित करवाई।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वादभूमि वादीगण को अपने पिता व पति हरिसिंह से विरासतन प्राप्त हुई थी परन्तु विरासतन इन्तकाल दर्ज करते समय वादीगण का घरू नाम के हिसाब से वादिया राजबाला का नाम बाला, वादिया नीलम का नाम चित्रा, वादिया सन्तोष का नाम पूनम व वादी सन्दीप का नाम धोलु दर्ज कर दिया गया। उक्त दुरूस्ती के चलते वादीगण अपनी खातेदारी का सही ढंग से उपयोग उपभोग नहीं कर पा रहे है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने ग्राम किराड़ाछोटा के राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने नामों दुरूस्त कर घोषणा करवाने व मुताबिक दुरूस्ती के राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो चित्रप्रति आधार कार्ड, चित्रप्रति परिवार राशन कार्ड, चित्रप्रति अंक तालीका पेश किये है उनमें वादीगण के नाम क्रमश : राजबाला, नीलम, संदीप कुमार दर्ज है एवं पटवारी रिपोर्ट, सरपंच ग्राम पंचायत किराडाबड़ा द्वारा प्रमाण पत्र में व पीडब्ल्यु 1 राजबाला ने अपने साक्ष्य में प्रस्तुत शपथ पत्र में वादीगण के सही नाम राजबाला, नीलम, सन्तोष व सन्दीप होने की पुष्टि की है। इस प्रकार प्रस्तुत दस्तावेजी सबुतों, पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं वादीया राजबाला द्वारा अपनी साक्ष्य में प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर वाद वादीगण साबित है।

अत : वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा किराड़ाछोटा के खसरा सं0 289 की 6.564 है0 बारानी खातेदारी में वादिया राजबाला के नाम से 1/12 हिस्सा, वादी नीलम, सन्तोष, सन्दीप व प्रतिवादी राजेन्द्र के नाम से 5/6 हिस्सा बहिस्सा बराबर है व रोही किराडाछोटा के ही खसरा सं0 59, 157, 170, 180 की 14.949 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि में बाला के स्थान पर बाला उर्फ राजबाला, वादी चित्रा के स्थान पर चित्रा उर्फ नीलम, वादिया पूनम के स्थान पर पूनम उर्फ सन्तोष, वादी धोलु के स्थान पर धोलु उर्फ सन्दीप दुरूस्त किया जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25-5-18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 34/2018

अनवान :

1. राजबाला पत्नी हरिसिंह जाति जाट निवासी किराड़ाछोटा तहसील भादरा।
2. नीलम पुत्री हरिसिंह जाति जाट निवासी किराड़ाछोटा तहसील भादरा।
3. सन्तोष पुत्री हरिसिंह जाति जाट निवासी किराड़ाछोटा तहसील भादरा।
4. सन्दीप पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी किराड़ाछोटा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादीगण

बनाम

1. राजेन्द्र पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी किराड़ाछोटा तहसील भादरा।
2. किताबो पत्नी हरिसिंह जाति जाट निवासी किराड़ाछोटा तहसील भादरा।
3. सतपाल पुत्र हरिसिंह जाति जाट निवासी किराडाछोटा तहसील भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा केस समक्ष वकील वादीगण श्री ताराचन्द मोठसरा एवं वकील प्रतिवादीगण सं 1 व 2 की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा किराड़ाछोटा के खसरा सं0 289 की 6.564 है0 बारानी खातेदारी में वादिया राजबाला के नाम से 1/12 हिस्सा, वादी नीलम, सन्तोष, सन्दीप व प्रतिवादी राजेन्द्र के नाम से 5/6 हिस्सा बहिस्सा बराबर है व रोही किराडाछोटा के ही खसरा सं0 59, 157, 170, 180 की 14.949 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि में बाला के स्थान पर बाला उर्फ राजबाला, वादी चित्रा के स्थान पर चित्रा उर्फ नीलम, वादिया पूनम के स्थान पर पूनम उर्फ सन्तोष, वादी धोलु के स्थान पर धोलु उर्फ सन्दीप दुरूस्त किया जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 25-5-18........को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा(हनु.)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़